हुक्म की तामील
में जारी हुए

आज अभिभाषकगण के कार्य व्यस्त होने के कारण। आज एसडीएम साहब
अवकाश/भ्रमण/अन्य कार्यों में व्यस्त है, मिसल
वास्ते बहस दिनांक 22/12/16
को पेश हो

रीडर

कुलाय फरीकन उपस्थित। आज एसडीएम साहब
अवकाश/भ्रमण/अन्य कार्यों में व्यस्त है, मिसल
वास्ते बहस दिनांक 19/1/17
को पेश हो

रीडर

10/1/17 कुलाय फरीकन उपस्थित। आज एसडीएम साहब
अवकाश/भ्रमण/अन्य कार्यों में व्यस्त है, मिसल
वास्ते बहस दिनांक 2/2/17
को पेश हो

रीडर

2/2/17 वकुलाय पक्षी।

2/2/17 पत्रावली पेश हुई। प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत मे रखे जाने की सूचना पक्षकारान को दी जाकर पत्रावली दिनांक 11/2/17 को लोक अदालत मे पेश हो।

11/2/17 आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई। वकील वादीगण एवं वकील प्रति.सं. 3 उपस्थित। राजीनामा इस आशय का पेश किया कि ५५ L.S.M के कु.नं. 135/54 के कि. नं. 3 ता 7, 14, 15 की 7.20 की भूमि

भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हो गई जो गलत है प्रतिवादी सं. 1 द्वारा दि: 21/5/2008 को उक्त भूमि प्रति. सं. 3 को विक्रय कर दी गई। अतः उक्त भूमि वादीगण के नाम दर्ज किये जाने बाबत राजीनामा व सहमति पेश की गई।

हमने पत्रावली व उपलब्ध रेकार्ड तथा राजीनामा वादीगण व प्रति. सं. 3 के वकील द्वारा प्रस्तुत का अवलोकन किया प्रकरण में कागजात भूमि चक 1-SSM स्थित मु.नं. 135/44 के कि.नं. 3 ता. 7, 14, 15 की 7.00 बीघा जो प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हो गई, को लेकर विवाद है। उक्त भूमि प्रति. सं. 1 द्वारा जरिये विक्रय पत्र दि: 21.5.08 को प्रति. सं. 3 को विक्रय कर दी गई। वकील वादी व प्रतिवादी सं. 3 द्वारा आज लोक अदालत में राजीनामा प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध दि: 1.3.11 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी तथा प्रति.

-1 द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि प्रति. 3 को विक्रय भी की जा चुकी है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 3 द्वारा प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत किया जा चुका इसी आधार पर वाद वादीगण का आता है तथा वादग्रस्त भूमि चक 1 SSM स्थित मु.नं. 135/44 के कि. नं. 3 ता 7; 14, 15 की 7.00 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम बतौर खातेदार दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलानुसार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दि. 11.2.17 को मेरे द्वारा लिखवाया गया।

(राजेश कुमार नायक)

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर (बीकानेर)